रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14062021-227586
CG-MH-E-14062021-227586

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
No. 230] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 13 मई 2021

सं. टीएएमपी/80/2016-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (एसपीएमपी) में कोलकाता गोदी प्रणाली (केडीएस) के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

संख्या. टीएएमपी/80/2016-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास - - - **आवेदक**

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(मई, 2021 के 13 वें दिन पारित)

मामला श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (एसपीएमपी) [पूर्ववर्ती कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी)] में कोलकाता गोदी प्रणाली (केडीएस) के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. केडीएस के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क इस प्राधिकरण द्वारा 19 जनवरी, 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/80/2016-केओपीटी के द्वारा अनुमोदित किये गए थे। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 26 फरवरी 2018 के राजपत्र सं. 77 में अधिसूचित हुआ था। अपफ्रंट प्रशुल्क भारत के राजपत्र में उक्त आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात से प्रभावी हुए थे ।

3.1 इस पृष्ठ्भूमि में एसपीएमपी के केडीएस ने 30 अप्रैल 2021 के अपने पत्र संख्या फिन/18/बी के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये हैं:-

(i) 19 जनवरी, 2018 के आदेश संख्या टीएएमपी/80/2016-केओपीटी के द्वारा यथा अनुमोदित एसपीएमपी स्थित केडीएस के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क 25 फरवरी 2021 तक वैध थे।

(ii) चल रही वर्तमान महामारी की स्थिति के कारण व्यापार को अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है इसलिये अनुमोदन के लिये प्रस्तावित की जाने वाली दरों को अंतिम रूप देने में अभी और समय अपेक्षित होगा।

(iii) इन परिस्थितियों में, प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता को और 6 महीने की अवधि के लिये या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले संशोधित अपफ्रंट प्रशुल्क के कर्यान्वियन की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करने का अनुमोदन संसूचित करने का कष्ट करे।

(iv) न्यासी मंडल ने संकल्प संख्या आर/250/केडीएस/टीएफसी/3/04/2021 के द्वारा स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता को और 6 महीने की अवधि के लिये विस्तार करने का अनुमोदन किया है।

(v) चूंकि न्यासी मंडल के अनुमोदन से नई दरों का प्रस्ताव शीघ्र ही किया जायेगा, इसलिये प्रस्तावित विस्तार के दौरान 01.04.2021 से प्रभावी यथा सूचकांकित वर्तमान दरों में वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव भी किया जाता है।

3.2 एसपीएमपी के केडीएस ने न्यासी मंडल के संकल्प की एक प्रति भेजने के साथ साथ 25 मार्च, 2021 के व्यापार परिपत्र की प्रति भी भेजी है जिसमें 25 फरवरी 2021 से आगे 6 महीने की अवधि के लिये अथवा नई दरों के अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, प्रशुल्क में विस्तार किया जाना संसूचित किया गया है।

4. एसपीएमपी के केडीएस ने बताया है कि स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता पहले ही समाप्त हो गयी है। पत्तन का कहना है कि पत्तन को स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के अपफ्रंट प्रशुल्क की समीक्षा के लिये प्रास्ताव दायर करने में अभी और समय लगेगा।

5.1. चूंकि, स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता पहले ही समाप्त हो गयी है और एसपीएमपी के केडीएस को अपना प्रस्ताव दायर करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए तथा एसपीएमपी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के संसाधन में लगने वाले अपेक्षित समय को सुविचार में लेते हुए और एसपीएमपी के केडीएस के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के अपफ्रंट प्रशुल्क की उगाही में निर्वात से बचने के लिये. एसपीएमपी के केडीएस के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता का 25 फरवरी 2021 से आगे विस्तार करना उपयुक्त पाया जाता है।

5.2 उपरोक्त को देखते हुए, यह प्राधिकरण एसपीएमपी के केडीएस के स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के वर्तमान अपफ्रंट प्रशुल्क की वैधता में 25 फरवरी 2021 से आगे 6 महीने की अवधि के लिये अथवा एसपीएमपी द्वारा किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर स्टीवडोरिंग और तट प्रहस्तन परिचालनों के नए अपफ्रंट प्रशुल्क के अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, विस्तार करने को प्रवृत्त है, जैसा एसपीएमपी के केडीएस ने अनुरोध किया है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./92/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th May, 2021

No. TAMP/80/2016-KOPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing upfront tariff for stevedoring and shore handling operations at Kolkata Dock System (KDS) of Syama Prasad Mookherjee Port (SPMP), as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

No. TAMP/80/2016–KOPT

The Kolkata Port Trust --- Applicant

QUORUM:

(i). Shri. T. S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 13th day of May 2021)

This case relates to the extension of the validity of the existing upfront tariff for stevedoring and shore handling operations at Kolkata Dock System (KDS) of Syama Prasad Mookherjee Port (SPMP) [erstwhile Kolkata Port Trust (KOPT)].

2. The existing upfront tariff for stevedoring and shore handling operations at KDS was approved by the Authority vide its Order No. TAMP/80/2016-KOPT dated 19 January 2018. This Order was notified in the Gazette of India on 26 February 2018 vide Gazette No. 77. The upfront tariff had come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India.

3.1. In this backdrop, the KDS of SPMP vide its letter no. Fin/18/B dated 30 April 2021 has made the following submissions:

(i). The upfront tariff for stevedoring and shore handling operations at KDS of SPMP as approved vide Order no. TAMP/80/2016-KOPT dated 19 January 2018 was valid upto 25 February 2021.

(ii). Due to ongoing pandemic situation in which various difficulties are being faced by the Trade, some more time will be required to finalise the rates to be proposed for approval.

(iii). Under the circumstances, TAMP is requested to consider and communicate approval for extension of the validity of the upfront tariff for stevedoring and shore handling operation for a further period of 6 months or till the effective date of implementation of the revised upfront tariff as per approval of TAMP, whichever is earlier.

(iv). The Board of Trustees vide Resolution no. R/250/KDS/TFC/3/04/2021 has approved the extension of validity of the upfront tariff for stevedoring and shore handling operation for a further period of 6 months.

(v). As the new rates shall be proposed soon with the approval of the Board of Trustees, the existing rates as indexed with effect from 01.04.2021 is proposed to be enhanced during the extension period.

3.2. The KDS of SPMP has also forwarded a copy of the Board Resolution as well as the Trade Circular dated 25 March 2021, conveying the extension of validity of tariff for a period of 6 months beyond 25 February 2021 or till approval of new rates, whichever is earlier.

4. As brought out by KDS of SPMP, the validity of the upfront tariff for stevedoring and shore handling operation has already expired. The Port has stated that it will take some more time for the Port to file a proposal for review of the upfront tariff for stevedoring and shore handling operation.

5.1 Since the validity of the upfront tariff for stevedoring and shore handling operation has already expired and considering the time required for KDS of SPMP to file its proposal and the time required for processing the proposal to be filed by the SPMP and in order to avoid a vacuum in the levy of the upfront tariff for stevedoring and shore handling operation of KDS of SPMP, it is felt appropriate to extend the validity of the existing upfront tariff for stevedoring and shore handling operation of KDS at SPMP beyond 25 February 2021.

5.2 In view of the above, this Authority is inclined to extend the validity of the existing upfront tariff for stevedoring and shore handling operation of KDS at SPMP for a period of 6 months beyond 25 February 2021 or till approval of new upfront tariff for stevedoring and shore handling operation based on the proposal to be filed by the SPMP, whichever is earlier, as requested by KDS of SPMP.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./92/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.14 20:23:01 +05'30'